

प्रेस- विज्ञप्तिथाना बिलरियागंजअवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ आज दिनांक 05.08.2022 को मय फोर्स के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन, पेन्डिंग विवेचना में नया चौक कस्बा बिलरियागंज मौजूद थे कि सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अकटहिया अम्बेड़कर गेट के पास खड़ा हैं, उसके पास अवैध तमंचा हैं इस सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष मय हमराह द्वारा मौके पर पहुंचकर खड़े व्यक्ति को घेरकर अकटहिया से कासिमगंज जाने वाले रोड पर तिराहा से पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो अपना नाम बेलाल पुत्र पुत्र एहरार निवासी मुहल्ला हसनपुर बाग कस्बा बिलरियागंज, थाना बिलरियागंज, जपनद आजमगढ़ बताया। जामा तलाशी में उसके पहने पैट से एक अदद तमंचा .303 बोर व एक अदद प्रतिबंधित जिन्दा कारतूस .303 बोर बरामद हुआ। पकड़े गये व्यक्ति को जुर्म अन्तर्गत धारा 3/7/25 शस्त्र अधि० का अपराध पाकर बताकर समय करीब 8.15 AM बजे विधि अनुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. बेलाल पुत्र पुत्र एहरार निवासी मुहल्ला हसनपुर बाग कस्बा बिलरियागंज, थाना बिलरियागंज, जपनद आजमगढ़।

बरामदगी-

1. अवैध 01 अदद तमंचा .303 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर

पंजीकृत अभियोग-

- मु०अ०सं० 176/2022 धारा 3/7/25 शस्त्र अधि० थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ बनाम बेलाल पुत्र पुत्र एहरार निवासी मुहल्ला हसनपुर बाग कस्बा बिलरियागंज, थाना बिलरियागंज, जपनद आजमगढ़।

अपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 165/2015 धारा 380/411/457 भा०द०वि० थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
2. मु०अ०सं० 298/2018 धारा 8/20 NDPS ACT थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
3. मु०अ०सं० 162/2022 धारा 147/148/149/323/324/427/452/504/506 भा०द०वि० व 3(1)द,3(1)घ,3(2)VA SC/ST ACT थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
4. मु०अ०सं० 176/2022 धारा 3/7/25 शस्त्र अधिनियम थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
2. का० अजय कुमार सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
3. का० सत्यजीत यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
4. का० विनय यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
5. म०का० शिखा पाण्डेय थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना जहानागंजगम्भीरपूर रूप से मारपीट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- वादिनी मुकदमा श्रीमती सुनीता देवी पत्नी रामानन्द मौर्या ग्राम महुवासीन थाना जहानागंज जिला आजमगढ़ के लिखित तहरीर पर दिनांक 02.08.2022 को थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ पर मु०अ०सं० 324/22 धारा 323, 504, 506, 308 आईपीसी बनाम 1. अंकित पुत्र सुरेन्द्र यादव, 2. सुरेन्द्र पुत्र रामाश्रय यादव 3. राधिका देवी पत्नी सुरेन्द्र यादव निवासीगण महुवासीन थाना जहानागंज आजमगढ़ पंजीकृत होकर विवेचना उ०नि० श्री ओमप्रकाश यादव के द्वारा अमल में लायी गयी।

गिरफ्तारी का विवरण: उ०नि० ओमप्रकाश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अंकित यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव ग्राम महुवासीन थाना जहानागंज आमजगढ़ को मंदे बाजार से समय करीब 13.35 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग:- मु०अ०सं० 324/22 धारा 323/504/506/308 आईपीसी थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त- अभियुक्त अंकित यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव ग्राम महुवासीन थाना जहानागंज आमजगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

- 1- उ०नि० ओमप्रकाश यादव थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
- 2- हे०का० बीर बहादुर यादव थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

## प्रेस-विज्ञप्ति

### पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने अभियुक्त धीरू उर्फ धीरेन्द्र सिंह के गैंग के 02 सदस्यों को किया सूचीबद्ध

आज दिनांक- 05.08.2022 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा सक्रिय गैंग लीडर अपराधी धीरू उर्फ धीरेन्द्र पुत्र रणजीत सिंह निवासी भटौली इब्राहिमपुर थाना जीयनपुर, आजमगढ़ जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए अवैध शराब की तस्करी जैसा जघन्य अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकशु लगाये जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर “सूचीबद्ध” (आपराधिक गैंग) किया गया है। यह गैंग “धीरू उर्फ धीरेन्द्र” गैंग के नाम से जाना जायेगा। इसका कोड नं0- “डी- 97” होगा। जिसके सदस्य निम्नवत है-

1. मनोज उर्फ धनन्जय राजभर पुत्र स्व0 जानकी प्रसाद निवासी ढेलुआ बसन्तपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़
2. धीरेन्द्र सिंह पुत्र जयप्रकाश सिंह निवासी सिकन्दरपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ हाल पता दाऊदपुर खालिसपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ।

प्रेस- विज्ञप्ति

थाना जहानागंज

आज दिनांक- 05.08.2022 को माननीय न्यायालय (सीजेएम) आजमगढ़ द्वारा थाना जहानागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 39/1995 धारा 323/325/504/427 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त 1. मोहन पुत्र प्रभु, 2. सन्तू पुत्र विश्राम साकिनान कड़ासर, थाना जहानागंज, आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए दोनो अभियुक्तों को 04-04 वर्ष का कठोर कारावास तथा 05-05 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड अदा न करने के स्थिति में प्रत्येक को 02-02 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।